संक्षिप्त

सौंपा ज्ञापन

निवाई। वनस्थली ग्राम पंचायत के गांवों में हुई अतिवृष्टि को लेकर किसानों की फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक कमल बैरवा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि वनस्थली ग्राम पंचायत के सभी गांवों में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसले पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण किसानों की चौपटहुई फसलों का शीघ्र सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामराय मीणा, पूर्व सरपंच श्रीराम चौधरी, हंसराज शर्मा वनस्थली, विनोद सेन वनस्थली, पूर्व पार्षद रामूमाथुर, छोटूलाल यादव, हीरालाल यादव, कालूराम लूनिया, विशाल यादव, बद्रीलाल प्रजापत, मथुरालाल, रमेश गुर्जर, धर्मवीर जगसरा, सूरज चौधरी, शिवशंकर व विनोद सिंगवाडिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

दसलक्षण महापर्व कल से

निवाई। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में शहर के सभी जिनालयों में रोट तीज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन धर्म प्रचारक सुनील भाणजा एवं हितेश छाबड़ा ने बताया कि रोट तीज पर्व को लेकर मंदिरों में तीस चौबीसी विधान मंडल, अभिषेक व शांतिधारा सहित अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि मंदिरों में भादौ शुक्ल तृतीया पर चौबीस महाराज की तीस चौबीसी पूजा अर्चना की गई। उन्होंने बताया कि जैन समुदाय में रोट तीज का त्यौहार का बड़ा ही महत्व है। उन्होंने बताया कि रोट तीज के दिन पूजा करने से लक्ष्मी अटल रहती है। इस दिन महिलाएं रोट तीज का व्रत एवं उपवास रखती है। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर एवं सहस्कुट विज्ञातीर्थ सहित सभी जैन मंदिरों में 28 अगस्त से दसलक्षण महापर्व आरंभ होंगे। जो 6 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष आयोजन होंगे।

अलग-अलग मामलों में चार गिरफ्तार

निवाई। एरिया डोमिनेशन अभियान को लेकर निवाई थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब रखने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार दो स्थाई वारंटियों व शांति भंग के आरोप में एक गैर सायल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब रखने के आरोप में रामप्रसाद पुत्र गिरधारी बावरिया निवासी अमरपुरा पुलिस थाना पचेवर को बिना लाईसेंस के अवैध हथकढ दो लीटर शराब के साथ मोदी विस्तार कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार स्पेशल व लोकल माईनर एक्ट में विनोद पुत्र हरिराम बैरवा निवासी भैरूजी के मंदिर के पास गांव झिलाय व कमलेश पुत्र छीतरमल माली निवासी टोडी हरमाडा जिला जयपुर व एक स्थाई वारंटी पूरणमल पुत्र लादुलाल जाट निवासी भांवती को न्यायालय के आदेशों की पालना में गिरफ्तार किया है।

पौधारोपण किया

निवाई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय,भारत सरकार की पहल "मेरा युवा भारत के अंतर्गत टोंक जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नाम परिवर्तन

मैं आशा गवलानी, पत्नी स्व. श्री भगवान दास शर्मा, यह कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम ASHA GAVLANI दर्ज है तथा PNB METlife INSURANCE POLICY में मेरा नाम ASHA हैं। यह दोनों नाम एक ही महिला के हैं।

I have changed my name from Sushil Kumar katariya to Sushil kumar kataria for all porpuse. R/o Kanchan villa mahaveer colony jhilay road Newai Tonk. (Raj.)

I have changed my name from Prabha Devi katariya to Prabha Devi kataria for all purpose. R/o Kanchan villa mahaveer colony jhilay road Newai Tonk. (Raj.)

I smt Suresh Kumari legally wedded spouse fo Navy no 162255N Rank petty officer Late Ramesh Kumar S/o Ram singh resident of plot no 13A ragunath vihar Sirsi road panchyawala Jaipur that I want change my name which is wrongly entered in my husband service record from SURESH KUMARI TO SURESH DEVI vide affidavit dated 25/8/25 before district sub divisional megistrate Jaipur south.

मैं रिषिराज सिंह शेखावत, निवासी 32, तिलक विहार, गोकुलपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर। मेरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में मेरी मां का नाम पुष्पा गलत दर्ज है। मेरी मां का सही नाम पुष्पा राठौड़ है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

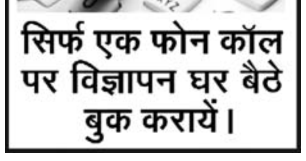

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

किशनगढ़ बास में आधे घंटे की बारिश से बाजार में भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न

किशनगढ़ बास के मुख्य बाजार में भरा पानी।

■ नालों की अधूरी सफाई और अतिक्रमण मुख्य कारण

किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास शहर में हर साल बरसात का मौसम आते ही जलभराव की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। सोमवार को हुई महज 30 मिनट की तेज बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका और प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। गंज रोड और मुख्य बाजार की सड़कें नदी-नाले का रूप ले बैठीं। ऐसा दृश्य देखने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि शहरवासी और राहगीर सड़क पर खड़े होकर ही बाघ की ऊपरा जैसी धारा बहते पानी का नजारा देख सकते हैं और कई लोग तो फोटो और वीडियो भी शूट करते नजर आए लेकिन जहां एक ओर यह दृश्य आम लोगों के लिए रोमांचक और देखने लायक होता है, वहीं दूसरी ओर बाजार में व्यापार करने वाले दुकानदारों के लिए यह किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं।

30 मिनट की बारिश में कई दुकानों के भीतर पानी भर गया। बारिश थमने के बाद दुकानदारों को घंटों तक पानी निकालने में मशक्कत करनी पड़ी।

गंज रोड और मुख्य बाजार में बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या कोई नई नहीं है। यह समस्या वर्षों से चली आ रही है और इसका मूल कारण अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी जानते हैं। समय-समय पर अधिकारियों की ओर से समाधान के प्रयास भी हुए, लेकिन हर बार यह प्रयास अधूरे रह गए। आखिर किस दबाव या कारण से अधिकारी रुक जाते हैं, यह तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान आज तक नहीं हो पाया।

हर साल मानसून शुरू होने से पहले नगर पालिका लाखों रुपए खर्च कर नालों की सफाई करवाने का दावा करती है। इस बार भी करीब 25 लाख रुपए नालों की सफाई पर खर्च किए गए। आनन-फानन में किए गए इन कार्यों को लेकर नगर पालिका ने दावा किया कि बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहली ही जोरदार बारिश ने सफाई कार्यों की हकीकत सामने ला दी।

पार्षदों का आरोप है कि नालों की सफाई अधूरी की गई और केवल खानापूर्ति हुई। कई नालों की गंदगी ज्यों की त्यों बनी रही, जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई। पार्षदों ने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शहर के व्यापारियों और आम नागरिकों ने कई बार एसडीएम, नगर पालिका ईओ और अध्यक्ष से मिलकर जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि पानी निकासी के रास्तों पर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण होने से पानी बाहर नहीं निकल पाता। यदि इन अतिक्रमणों को हटाया जाए और नालों की सही तरह से सफाई की जाए तो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इसके बावजूद अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन हर साल बरसात के दिनों में गंज रोड और मुख्य बाजार की सड़कें तालाब जैसी स्थिति बना देती हैं और दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए

■ यातायात पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया

भरतपुर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बिजली घर चौराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और उनसे नियमों का पालन करने की अपील की गई। सीओ ट्रैफिक नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह अभियान ट्रैफिक पुलिस और सैनी मिठाई के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि हर साल सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से अधिकांश हेड इंजरी के कारण होती है। यदि लोग हेलमेट पहनकर सफर करें तो ऐसी मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है। हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाने में सहायक होता है और जिंदगी सुरक्षित बनाता है।

इस अवसर पर उदय सैनी ने भी लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल कानून के डर से नहीं पहनना चाहिए, बल्कि यह अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य समाज में यह संदेश फैलाना है कि सुरक्षित सफर ही जीवन की गारंटी है। वहीं, हेलमेट प्राप्त करने वाले वाहन चालकों ने कहा कि उन्हें अब इसकी अहमियत समझ में आई है और वे आगे से बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाएंगे। उनका कहना था कि सड़क हादसों में हेलमेट जान बचाने में सबसे बड़ी ढाल साबित होता है। इस अभियान के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि यातायात नियमों का पालन और हेलमेट का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है।

ज्ञापन सौंपा

निवाई। शहर की बापू नगर कॉलोनी के मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार को हटाने की मांग को लेकर कॉलोनीवासी शिक्षिका अंजू बाला शर्मा, गिरिराज मीणा, कमलेश पारीक, महेश पारीक, सीताराम राजवंशी, मोहित सैनी, आशीष जायसवाल, दिनेश मंगल, दिनेश जोशी, सूरजमल जाट व मंजू शर्मा सहित कई कालोनी वासियों ने विद्युत वितरण निगम के अधिशाषी अभियंता नंदकिशोर खींची को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया कि 5 वर्ष पूर्व घरों के सामने से 11 हजार केवी हाई टेंशन लाइन का खुला तार डाल दिया गया था। उस वक्त इसका विरोध किया गया। इसके बाद भी तार डाल दिया गया। इस लाइन से कई बार हादसे हो चुके हैं। शिक्षिका अंजू बाला शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त की शाम को करीब 6 बजे उसके घर में अचानक विस्फोट होने जैसी तेज आवाज आई और चिनगारियां उठने लगी। ज्ञापन में उक्त हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार को अन्यत्र स्थानांतरित करने, घरों में हुए नुकसान का मुआवजा देने व लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है।

त्रिनेत्र गणेश जी का तीन दिवसीय मेला प्रारंभ

बौंली- बामनवास। देश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में शामिल रणथंभौर श्री त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर पर लगने वाला तीन दिवसीय मेला मंगलवार 26 अगस्त से प्रारंभ हो गया। मेला स्थल का मुख्य द्वार खुलते ही पैदल यात्री व अन्य श्रद्धालुओं का समूह गणेश जी के जयकारों के साथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। मेला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक भरेगा, मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 50 निशुल्क भंडारे विभिन्न संगठनों एवं भक्तों द्वारा लगाए गए हैं, 3 दिन तक 24 घंटे श्रद्धालु प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन ने करीब 15सो से अधिक पुलिस, प्रशासन, वन विभाग, सिविल डिफेंस व अन्य टीमों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया है, प्रशासन द्वारा करीब 50 सीसी टीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मंगलवार को मेला प्रारंभ होते ही जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, डीएफओ रामानंद भाकर सहित अन्य अधिकारियों ने गणेश धाम से जोगी महल तक संपूर्ण मेला मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, भारी वर्षा के कारण मेला मार्ग अनेको जगह से क्षितग्रस्त हो गया था जिसे प्रशासन ने जवानों की सहायता से दो दिन तक दिन-रात कड़ी मेहनत करके पैदल आवागमन के लिए सुगम बना दिया है। जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर निर्णय लेते हुए त्रिनेत्र गणेश जी पैदल परिक्रमा मार्ग को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है, जिससे प्रतिवर्ष गणेश जी की पैदल परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं में खुशी के लहर दौड़ गई, लेकिन प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पैदल परिक्रमा मार्ग में समूह के रूप में जाने की अपील की है एवं जगह-जगह जवानों को तैनात कर टाइगरों से बचाव का प्रबंध किया गया है। फिलहाल राष्ट्रीय नेशनल पार्क में निचले स्तर पर पानी भर जाने के कारण सभी वन प्राणी पर्वत श्रृंखला के ऊपर बने गुफाओं में शरण लिए हुए हैं इस कारण फिलहाल कोई खतरा श्रद्धालुओं के लिए नजर नहीं आ रहा है। अनेकों टीमों को प्रमुख पानी के स्त्रोतों व स्नान करने के आसपास तैनात किया गया है।

जिले को मिलेंगी सभी बुनियादी सुविधाएँ : भूपेंद्र यादव

अलवर। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरथल-तिजारा से आए जाटव समाज संस्थान के सदस्यों से संवाद किया।

अपने वक्तव्य में यादव ने कहा कि शिक्षा और खेल के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। जाटव समाज संस्थान की खैरथल-तिजारा में महिला छात्रावास की मांग का उत्तर देते हुए यादव ने कहा कि केवल छात्रावास ही नहीं, क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा से लेकर कौशल विकास और छोटे उद्योग खड़े करने में मदद देने जैसे सभी प्रयास उनकी प्राथमिकताएँ हैं। यादव ने कहा कि वे खैरथल में एक महिला कौशल विकास केंद्र बना रहे हैं जहाँ न सिर्फ महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को मार्किट देने का प्रयास भी किया जाएगा।

भूपेंद्र यादव ने खैरथल-तिजारा से आए जाटव समाज संस्थान के सदस्यों से संवाद किया।

उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को पॉटरी, कढ़ाई और जूतियाँ जैसे उत्पाद बनाने में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यादव ने कहा हम महिलाओं को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे। इसके साथ अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाज़ार मुहैया कराने की भी चिंता करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, खैरथल मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ है इसलिए वहाँ पार्किंग, कार्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य हैं। जिले का मुख्यालय इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर सभी की सहमति लेकर बनाया जाएगा।

अलवर में रोज खुलने वाला महा लक्ष्मी मटका पुलिस की आंखों से दूर

■ पिछले 15 सालों से नया बास निवासी एक व्यक्ति लगातार महालक्ष्मी नामक मटका चला रहा

अलवर। अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों में भय पैदा करने का दावा करने वाले अलवर जिले में 15 साल से करीब आठ से दस पुलिस अधीक्षक आए और गए लेकिन आज तक किसी भी पुलिस अधीक्षक यहां रोजाना खुलने वाला महालक्ष्मी मटके को बंद नही करवा पाया है । अब नए एसपी चौधरी क्या इस मटके पर लगाम लगा पाएगे यह एक अलवर की जनता के लिए एक दक्ष प्रश्न है।

15 सालों से नया बास निवासी एक व्यक्ति लगातार महालक्ष्मी नामक मटका चला रहा है जिसके चलने से शाम पांच बजते ही मटके की खबर जानने के लिए सट्टा खेलने वाले युवकों की भीड़ शहर के चौराहों पर एकत्रित हो जाती है। मटका किंग की जानकारी अलवर पुलिस को नही है पुलिस पूरी तरह से जानती है कि यह मटका किंग कौन है और कहा इसका काला बाजार चलता है लेकिन पुलिस के तेज तर्रार नेन आज तक इस मटके को नही खोज पाए। लोगों का कहना है कि सट्टा किंग से पुलिस की सांठगांठ है मोटी मंथली के कारण पुलिस उक्त सट्टा किंग पर कोई कार्यवाही नही कर रही है। यहां पर आपको बता दे कि महालक्ष्मी सट्टा मटका में रोज लोग इस उम्मीद में अपनी कमाई का मोटा हिस्सा लगा देते है कि हो सकता है उनका नंबर लग जाए लेकिन उन्हें क्या पता कि सट्टा किंग अपने मटके में वही नंबर खोलता है जिसे लोगों ने या तो खेला नही या फिर कुछ ही लोगों ने लगाया हो इसी कारण से आज मात्र 15 सालों में यह सट्टा किंग अरबपति बन गया है।

शाहपुरा उप जिला चिकित्सालय के मैन गेट के छज्जे का प्लास्टर गिरा

■ अस्पताल में बड़ा हादसा होने से टला, एक युवक घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया

■ अस्पताल को बने लंबा समय होने के कारण भवन की छत में कई स्थानों से चूने ने जगह छोड़ दी

शाहपुरा। शहर के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल राजकीय उपजिला चिकित्सालय में एक बार फिर चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ती नजर आई। मंगलवार को करीब 11:30 हॉस्पिटल समय में मैन गेट के छज्जे का प्लास्टर गिर गया, जिससे युवक के सिर व पैर में चोट आई। युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में दाखिल किया।

जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल का उद्घाटन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया ने 5 फरवरी 1969 को किया था। अस्पताल को बने लंबे समय होने के कारण भवन की छत मे कई स्थानों से चूने ने जगह छोड़ दी। मेन गेट के छज्जे से चूना कई दिनों से झड़ रहा था। यहां तक की गत 5 दिन पूर्व अस्पताल में निरीक्षण करने आए संयुक्त निदेशक को भाजपा नेता उपेन यादव ने छज्जे की जर्जर स्थिति से अवगत भी कराया था और चेताया था कि अगर इसकी शीघ्र इसकी मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी हादसा हो सकता है। संयुक्त निदेशक ने बीच चिकित्सालय प्रभारी पीएमओ डॉक्टर विनोद योगी को इसको गंभीरता से लेने की बात कही थी। बावजूद इसकी और किसी भी न ध्यान नहीं दिया और मंगलवार सुबह हॉस्पिटल समय में ही छज्जा पत्नी को दिखाने आए भाबरू निवासी एक युवक विनोद बुनकर के सिर पर गिर गया। जिससे वह घायल हो गया और उसे अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के लिए भर्ती किया गया।

हादसे के बाद हरकत में आये प्रशासन ने मैन गेट के छज्जे को ड्रिल मशीन से तुड़वा दिया।

खोया-पाया

मैं शिव कुमार चौधरी s/o केशर लाल चौधरी निवासी जाटों की ढाणि रामनगरिया जयपुर से हूं कि मेरा प्लॉट का पट्टा सरोज तेवतिया w/o राजवीर सिंह चौधरी के नाम से प्लॉट संख्या B-58 बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी जगतपुरा का ज.वि.प्रा. से जारी किया था. मेरे से कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें. 9414008359

मैं अनिता कंवर, निवासी प्लॉट नं. 19, मेजर बन्ने सिंह कॉलोनी, खातीपुरा, सूचित करती हूं कि उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री मेरे नाम है, परंतु उसी प्लॉट का 1550 का पट्टे का स्टाम्प पेपर गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें - 9928700259

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र चौधरी निवासी-69/376, वी.टी. रोड चौराहा, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जिला जयपुर के स्वामित्व व अधिकार का प्लाट नम्बर 69/376 के मूल दस्तावेजात की सम्पूर्ण फाईल जिनमे असल दस्तावेजात रखे थे दिनांक 24.08.2025 को कही गुम हो गये है। जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट मेरे अभिभाष्य द्वारा पुलिस थाना वरुण पथ, मानसरोवर, मे दिनांक 25.08.2025 को दर्ज करवायी है। जिसके परिवाद संख्या 078780332501773 एवं परिवाद रजि. क्रमांक 1694 है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को उक्त प्लाट के बाबत किसी प्रकार की कोई उज्र व आपत्ति हो तो वह 7 दिवस के भीतर भीतर मेरे अभिभाष्य से सम्पर्क कर लेवे बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज मान्य नहीं होगा।
जयपुर भवदीय
दिनांक 25/8/25 (सुरेश कुमार शर्मा) एडवोकेट

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 6574 जाहिर आम सूचना दिनांक 26.08.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 261/404 (EWS), (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री उमेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रभुदयाल अग्रवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 5837 दिनांक 15.10.2003 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 7501 दिनांक 20.11.2003 को जारी किया गया। श्री उमेश अग्रवाल द्वारा श्री रामकिशोर मीणा पुत्र श्री अर्जुनलाल मीणा को दिनांक 05.04.2007 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री रामकिशोर मीणा के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री उमेश अग्रवाल के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 14.05.2007 को पंजीकृत करवाये गये। श्री रामकिशोर मीणा द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 28.01.2011 के द्वारा श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री रामकिशोर मीणा को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री रामकिशोर मीणा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री रामकिशोर मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-1TRUST/2025/492
चूँकि प्रार्थी श्री अनिल कुमार भार्गव, साईस पार्क, टी.बी. हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, जयपुर-302016 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास दी रोज सोसायटी ऑफ राजस्थान, साईस पार्क, टी.बी. हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, जयपुर-302016 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 24-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया। आइंदा तारीख पेशी 29/09/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
नई विधानासभ के पास, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक-एफ ()/न.नि.ज.ग्रेटर/मा.न.जोन/2024/1513 दिनांक 21/8/20525
सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री कल्पेश भाई पटेल पुत्र श्री रमेश भाई पटेल द्वारा भूखण्ड संख्या 115, योजना स्कीम नं0 01 सोसायटी सैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज भूमि का नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक जुलाई 2000 भूखण्ड संख्या 115, योजना स्कीम नं0 01 सोसायटी सैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का पट्टा विलेख श्री रमेश भाई पटेल पुत्र श्री जयन्ती लाल के पक्ष में जारी किया गया। श्री रमेश भाई पटेल पुत्र श्री जयन्ती लाल की मृत्यु दिनांक 27.11.2000 को हो गई थी। श्रीमती सुमन बेन पत्नी श्री रमेश भाई पटेल, वन्दना पटेल पुत्री श्री रमेश भाई पटेल पत्नी श्री केनन पटेल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के द्वारा अपने-अपने 1/3 हिस्से का हक त्याग श्री कल्पेश भाई पटेल पुत्र श्री रमेश भाई पटेल के पक्ष में किया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड सं. 115, योजना स्कीम नं. 01 सोसायटी सैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का नाम हस्तानान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री कल्पेश भाई पटेल पुत्र श्री रमेश भाई पटेल के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तानान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची ज संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी
स्थान - जयपुर न्यायाधीश प्रथम 279 22/8/25
योगेश बनाम मीनाक्षी वगैरह
वाद/प्रार्थना पत्र उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
प्रार्थना पत्र संख्या 1/25
प्रार्थीगण- योगेश शर्मा पुत्र स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा माता स्व. श्रीमती संतोष शर्मा, निवासी- प्लॉट नं. 58, माली की कोठी, बगराना, आगरा रोड, लूणियावास
वि. प्रार्थीगण -
1. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री ऋषि शर्मा पुत्री स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा, पता- 1299, रामगंज बाजार, जयपुर
2. श्रीमती करिश्मा शर्मा पत्नी श्री मनोहर लाल शर्मा पुत्री स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा पता- 135, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, जयपुर
3. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री आशीष शर्मा पुत्री स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा, पता- ग्राम खिजूरिया ब्राह्मणान, तह. बस्सी, जयपुर
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पता- क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य निधि भवन, ज्योति नगर, जयपुर
5. PNB शाखा- जामडोली केशव विद्यापीठ समिति, जामडोली
6. SBI शाखा- कानोता, तह. बस्सी, सुपर बाजार, आगरा रोड, जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 28.08.2025 को 10:00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगें तो उक्त आदेश की सुनवाई व उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
मोहर न्यायालय आज्ञा से - अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं.01/2025
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी- नाम शरद सेठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र खत्री प्लाट नं. 149, शंकर कोलोनी, नया खेड़ा, विद्याधर नगर जयपुर (राज.)
विवाद स्थान हाल निवासी प्लाट नं. 529/272, रहीम नगर महानगर लखनऊ (यूपी.)
मृतक सपना सेठ पत्नी शरद सेठ पुत्री श्री रमेशचंद सहगल, प्लांट नं. 149, विद्याधर नगर, जयपुर राज. हाल निवासी प्लांट 529/272, रहीम नगर, लखनऊ (यूपी)
दिनांक 08-09-2025 पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र सरगना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्राथी/प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सपना सेठ पुत्री स्व. श्री रमेशचन्द्र सहगल खत्री निवासी प्लाट नं. 529/272, रहीम नगर, लखनऊ (यूपी) का उत्तरधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक.....माह....सन् 20.... को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
रीडर
मोहर अदालत एडमिनिस्ट्रटर जनरल राजस्थान, जयपुर

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग जयपुर शहर, जयपुर प्रथम EA/41/24
नोटिस अंतर्गत धारा 71 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
श्री चोपड़ा साउंड विरुद्ध साहिल कार्गो मूवर्स बनाम श्री प्रबंधक मुकेश शर्मा पता- 2102 बोराज हाउस, बोराज ठाकुर का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर, चुकी इस फर्म द्वारा दिनांक 13/5/ 2022 को उक्त प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरुद्ध आदेश पारित कर निर्देश दिया गया था अप्रार्थी विपक्षी माल की वास्तविक कीमत 35,000 उसकी बुक करने की दिनांक 18/ 3/ 2024 से अदायगी 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित अदा करें। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को विपक्षी शारीरिक व मानसिक वेदना व आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप 15000 की राशि व परिवार खर्चा पेट 10000 की राशि अदा करें जिसकी अनु अनुपालना आप द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 29/8/2025 को आप स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बताएं कि अन्यथा आपको 10,000 अक्षरे दस हजार रुपये के अर्थदंड तथा 3 वर्ष के कारावास से क्यों नहीं दंडित किया जाए। आगह रहे कि आप यदि उक्त दिनांक 29.8.2025 को उपस्थित नहीं हुई तो आपको वारंट गिरफ्तारी से तलब किया जाएगा।
मोहर अदालत डा. सुमेसिंह यादव जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, जयपुर प्रथम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जयपुर

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR
S.B./D.B. CIVIL WRIT PETITION NO....../2025
Any Person
Versus
State of Rajasthan and Ors.
Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering into Caveat
MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS :
Your Lordship's humble applicant wants to enter into caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and let nothing be done till the applicants are heard in the matter.
The particulars of the **Writ Petition** which is likely to be filed are given below :-
The Writ Petition may be filed by the following person:-
Any Person
That the Writ Petition is likely to be filed against following parties:-
1. Additional Chief Secretary, Rural Development and Panchayati Raj Department, Government Secretariat, Jaipur-302005
2. Principal Secretary and Commissioner, Panchayati Raj Department, Government Secretariat, Jaipur
3. All Chief Executive Officer, Zila Parishad, Rajasthan
4. All District Collector, Rajasthan.
That the Order against which the Writ is to be filed is against क्रमांक:-17()परावि/प्रशा-2/संस्था/जांच/कलिभ-13/ई-62127 दिनांक 15.07.2025 passed by the Secretary, Panchayat Raj Department, Jaipur.
That the Writ Petition which is to be filed against the Panchayati Raj Department.
That Vakalatnama on behalf of Chief Executive Officer, Zila Parishad, Jaipur, is submitted herewith.
It is, therefore, humbly prayed that nothing be done in the case till the applicants are heard.
HUMBLE PETITIONER
Through counsel
(Kapil Prakash Mathur)
AAG
(Registration No.-R/119/2000
Mobile No.-9828020309
Email Id: kpmathur.aag@rajasthan.gov.in
Raj.Samwad/C/25/8804

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर-302015, ईपीएबीएक्स: 0141-2713666-69, Ext. 218
E-Mail: computer@jaipurdairy.com website: www.jaipurdairy.com
क्रमांक: एफ ()जजिदुउस/प्रचार/2025/17679-80 **ई-आमंत्रण प्रस्ताव** दिनांक: 26.08.2025
दुग्ध संघ की निविदा सूचनाओं, सजावटी विज्ञापन आदि का विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दि इण्डियन न्यूजपेपर सोसायटी (INS) से नवीनतम अनुमोदित एजेन्सियों का दो वर्ष के लिए एम्पेनलमेन्ट हेतु ऑन लाईन आवेदन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत आवेदन प्रपत्र, महत्वपूर्ण दिनांक आवेदन फीस/ईएमडी राशि का पूर्ण विवरण संघ की वेबसाईट www.jaipurdairy.com पर ही देखा जा सकता है।
NIB: CDF2526A0573 प्रबन्ध संचालक
जीवन में भरे रस - हमारा प्यारा

13th BN THE GRENADIERS REGIMENT, JAIPUR (RAJ)
Application from eligible indian citizen are invited in prescribed format for the following group 'C' Defence Civilian post at various establishment of South Western Command. Application form duly completed in all respects along with all requisite documents, duty self-attested should reach by speed/Registered Post to Commanding Officer, 13th GRENADIERS, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021 within 21 days from the date of publication of this advertisiment in the newspaper which shall also be crucial on determining the age limit of all candidates.

S.No.	Name of Post	Pay Band	Vacancies: UR	SC	ST	OBC	EWS	ESM	PH (LD) Not Less than 40%	Total	Education Qualification
(a)	Stenographer Grade - II	Level 4 Rs. 25500-81100	02	01	-	01	01	-	-	05	(a) 12th Class equivalent from a recognized Board of University (b) Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute (c) Transcription 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) on computer
(b)	Cook	Level 2 Rs. 19900-63200	01	-	-	-	-	-	-	01	(a) Essential Matriculation Pass or equivalent from recognized board (b) Must have knowledge of Indian cooking & proficiency in trade (c) Desirable conversant with duties of the respective trades with one year experience in the trades
(c)	MTS	Level 1 Rs. 18000-56900	02	-	-	06	05	01	-	14	(a) Matriculation Pass or equivalent from recognized Board (b) Desirable Conversant with duties of the respective trades
(d)	Washerman		01	-	-	-	-	-	-	01	
	Total		06	01	-	07	06	01	-	21	

• Detailed Eligibility Criteria, Application Form, Declaration and Terms & conditions are available at www.indianarmy.nic.in. Any Future amendment corrigendum in advertisement will be published in www.indianarmy.nic.in. • Full Advertisement (total 05 (Five) pages in pdf file) may please be download from www.indianarmy.nic.in. • Recruitment advertisement published in Times of India, Punjab Kesri and Dainik Navjyoti (Jaipur Edition) on 25th Mar 2023 has been cancelled vide Advertisement published on 28 Sep 2024 in Times of India and Dainik Bhaskar. The candidates who applied previously and were called for written examination are not required to apply again. Fresh admit cards will be issued to them accordingly. Their age limit will be calculated as per previous application.